न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

स्थगन प्रार्थनापत्र सं.. — 4/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
नारायणलाल पुत्र सकाजी,जाति मेघवाल,निवासी ग्राम–रेवतडा, तहसील सायला, जिला जालोर		1.ग्राम पंचायत रेवतडा जरिये सरपंच, 2.सचिव/ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत रेवतडा, जिला जालोर 3झालाराम पुत्र पदमाजी, जाति मेघवाल,निवासी ग्राम–रेवतडा,तहसील सायला, जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 19894

उपस्थिति :–
1.श्री अशोककुमार माली, ,अभिभाषक,प्रार्थी की ओर से।
2.श्री प्रवीणकुमार सोलकी, अभिभाषक,अप्रार्थी सं. 1से 3 की ओर से।

निर्णय दिनांक 19.2.2018

1 प्रार्थी के अनुसार निगरानी प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सं.3 अपने हक में जारी पट्टे में वर्णित भूमि पर चार दिवारी का निर्माण करवा रहा है जबकि अप्रार्थी सं.3 के हक में जारी पट्टा वर्ष 2011 में जारी किया गया। वर्ष 2011 से उक्त भूमि खाली पडी थी। उक्त भूमि बहाव क्षैत्र में स्थित है। पट्टा का सीमांकन में वर्णित पडौसियान् से स्पष्ट हैं कि कि दक्षिण में बंधे की पाल स्थित है,अप्रार्थी सं.3 अपने हक में जारी नियम विरूद्ध पट्टे क आड में सरकारी भूमि पर स्थाई निर्माण करने में सफल हो गया तो प्रार्थी द्वारा रिवीजन प्रार्थनापत्र का मकसद फौत हो जायेगा। अतः मूल रिवीजन प्रार्थनापत्र के निर्णय तक पट्टा सं. 3716 दिनांक 5.12.2011 में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य ताफैसला रिवीजन नही करने हेतु स्थगन आदेश जारी करावे। प्रार्थी स्थगन प्रार्थनापत्र के साथ स्वयं का शपथपत्र भी पेश किया। स्थगन प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी ने पट्टे की फोटो प्रति आदि पेश किया।

2 प्रार्थी के स्थगन प्रार्थनापत्र का अप्रार्थी सं.1,2 की ओर से दिनांक 6.2. 2018 को जवाब व अप्रार्थी सं. 3 की ओर से दिांक 2.2.2018 को जवाब जवाब मय शपथपत्र पेश किया।

3 प्रार्थी वकील ने बहस में बताया कि दिनांक 13.9.2015 को मौका रिपोर्ट जो पटवारी हल्का रेवतडा द्वारा तैयार की गई है जिसमें बताया कि मौजा रेवतडा के खसरा नम्बर 1438 में मौके पर बाढ बचाव की पाल बनी हुई है

जिसका उपयोग बाढ बचाव की पाल के रूप में होता है न कि रास्ते के रूप में । पट्टा सं. 3716दिनांक 5.12.2011 को ग्राम पंचायत रेवतडा द्वरा जारी अप्रार्थी सं.3 को जारी किया गया है, उक्त पट्टा राज. पंचायती राज अधिनियम की धारा 157(2) के तहत् जारी किया गया है। जिस पर निर्माण वर्ष 2017 में किया जा रहा है जो नियमानुसार नही होने से मूल निगरानी के निर्णय तक पट्टा सं. 3716 दिनांक 5.12.2011 में अप्रार्थी सं.3 निर्माण न करने का स्थगन आदेश जारी करावे। इसके विपरीत अप्रार्थी सं.1से 3 के वकील ने बताया कि अप्रार्थी सं.3 द्वारा पट्टे की भूमि में ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रार्थी का प्रकरण सिविल कोर्ट में भी खारिज किया जा चुका है। अप्रार्थी सं.3 को पुराने कब्जे के आधार पर ही पट्टा जारी किया गया है। मूल निगरानी भी अन्दर म्याद पेश नही की गई है। अप्रार्थी सं.3 को पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है। बहाव क्षेत्र दक्षिण में है, उतर की ओर नही है। अतः प्रार्थी का स्थगन प्रार्थनापत्र खारिज करावे।

4 उभयपक्ष की बहस का अवलोकन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं.3 को पट्टा धारा 157(ख) राज. पंचायती राज नियम के तहत् जारी किया गया है, 157(ख) में इस नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान् बने पुराने मकानों हेतु जारी किया जाता है। अप्रार्थी सं.3 का मकान 50 वर्ष के दौरान् बना हुआ था या नही?, उक्त पट्टा सही जारी किया गया है या गलत? यह तो मूल निगरानी के निर्णय में विवेचन किया जायेगा। जब तक पट्टा निरस्त नही हो जाता तब तक वह वैध है और अप्रार्थी सं.3 को अपने पट्टे में वर्णित भूमि में नियमानुसार निर्माण कार्य करवा सकता है। अगर अप्रार्थी सं.3 अपने पट्टासुद भूमि में अवैध रूप से निर्माण कार्य करवा रहा है तो ग्राम पंचायत इसके विरूद्ध कार्य करने हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी का स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

प्रार्थी का पट्टा सं.3716दिनांक 5.12.2011 में निर्माण कार्य नही करने बाबत् स्थगन प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

S.d.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 19.2.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर